

3 $\frac{12}{204}$

धौलपुर (राज०)

वकील वकील उषा संशोधित 9/9/47 पेश नहीं किया।
 समय पहले ही पत्रिका अथवा डिवा जा चुका है।
 दो बार अतिरिक्त अथवा डिवा गया है। परन्तु उक्त
 द्वारा संशोधित 9/9/47 पेश नहीं किया है इससे जाहिर
 होता है कि वकील वकील को पत्रिका में शामिल नहीं कर रहे हैं।
 प्रकाश में देनी चाहते की नीचे लें संशोधित 9/9/47
 पेश नहीं किया जाकर माफालम के आदेश की याचना
 नहीं की जा रही है। अतः राजावती माफालम के
 आदेश की याचना नहीं किए जाते पर 09/9/47 के
 तहत प्रारंभ किया जाता है। परन्तु प्रारंभ में
 सुधार होना जरूर ले व्यक्त हो। इसके बाद
 बाद लक्ष्मी लक्ष्मी दाखिल करवाया है।

उपखण्ड अधिकारी

धौलपुर (राज०)